रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अति आवश्यक सूचना

जनता के डिमाण्ड पर यह स्थान हमने आपके विज्ञापन हेतु सुरक्षित रखा है इसे आप अपना बनाकर एक छोटा सा विज्ञापन देकर अपने व्यवसाय में चार चाँद लगा कर व्यवसाय बढ़ा सकते हैं।

2 बार विज्ञापन प्रकाशित कराने पर तीसरा विज्ञापन बिलकुल मुफ्त गज़ट की ओर से प्रकाशित किया जायेगा – सम्पादक

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –17 ● कानपुर 1 से 15 सितम्बर 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य –₹100

सी0एम0ओ0 बुलन्दशहर का दो टूक जवाब

बोर्ड से पंजीकृत चिकित्सक अधिकार से करें प्रैक्टिस

- बोर्ड का पंजीकृत चिकित्सक ही प्रैक्टिस का अधिकारी
- 04 जनवरी का आदेश ही प्रभावी
- महानिदेशक के निर्देशों का होगा पालन
- जवाब से परेशान हैं लोग
- पश्चिम के चिकित्सकों में उत्साह
- पंजीयन के लिए बन रही है दिशा
- शीर्ष ही दिखने लगेंगे परिणाम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले कुछ हफ्तों से तमाम तरह की बातें उभर कर आ रही थीं कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं द्वारा तरह–तरह के भ्रम फैलाये जा रहे थे, अधिकारिता को लेकर सवाल उठाये जा रहे थे, बड़े–बड़े दावे किये जा रहे थे कि प्रदेश में सिर्फ किसी एक संस्था को ही अधिकार प्राप्त है और उन्हीं के चिकित्सकों को चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्षेत्र की अग्रणी संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए पारित 4 जनवरी, 2012 के आदेश की योग्यता के बारे में तरह–तरह के भ्रम फैलाये जा रहे थे, चिकित्सकों के मध्य यह बताने का प्रयास किया जा रहा था कि सिर्फ दिल्ली की किसी एक संस्था को ही अधिकार प्राप्त है और उसके चिकित्सकों को चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार है इस तरह की बातों से बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध चिकित्सकों के मध्य भ्रम के साथ–साथ दुविधा ने भी जन्म लिया, यद्यपि जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे थे वह अपने कार्य करने का आधार 2 सितम्बर, 2013 को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 को आधार बना रहे थे जब इस तरह की जानकारी बोर्ड के संज्ञान में आयी तो बोर्ड ने तत्काल अपने अलीगढ़ मण्डल के प्रभारी को निर्देशित किया कि वह अपने स्तर से इस मामले का हल निकालें अलीगढ़ मण्डल प्रभारी बुलन्दशहर जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से मिले और उनसे अपनी बात बतायी चूंकि मामला बुलन्दशहर से ही सम्बन्धित था इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि मामला जिस जनपद का हो उसी जनपद के अधिकारी द्वारा उसका शमन किया जाये।

यद्यपि पहली ही मुलाकात में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सकारात्मक रूख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से पंजीकृत चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विधा से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है वह अधिकार पूर्वक अपना कार्य कर सकता है। चूंकि यह बात वार्ता के दौरान हुई आम चिकित्सक को बताने के लिए यह बात लिखा पढ़ी में होनी चाहिये थी अस्तु मुख्य चिकित्साधिकारी से पत्र व्यवहार किया गया हमारे अलीगढ़ के साथी डा0 आर0 के0 तेवतिया ने अपने वरिष्ठ डा0 पी0 के0 राघव के निर्देश पर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पत्र व्यवहार किया 22 जुलाई, 2016 को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय बुलन्दशहर से जो उत्तर आया उसने भ्रम फैलाने वालों की बोलती बन्द कर दी, उत्तर में मुख्य चिकित्साधिकारी ने दो टूक जवाब दिया .....

"महानिदेशालय/शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जो बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 में पंजीकृत हैं पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा सेवायें प्रदान करने पर कोई रोक नहीं है।"

मुख्य चिकित्साधिकारी की इस स्वीकारोक्ति के बाद पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के मध्य एक नया उत्साह है।

यह बात किसी एक जनपद की नहीं है कई अधिकारियों ने इस तरह की स्वीकृति प्रदान की है पिछले दिनों जनपद जौनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बलिया के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी प्रशासन ने खुले मंच से घोषणा की, कि मैं अपने जनपद में बोर्ड से पंजीकृत चिकित्सकों का अपने कार्यालय में पंजीयन करूंगा। इस तरह की घोषणायें चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाने के साथ–साथ अधिकारों की सार्थकता को भी सिद्ध कर रही हैं।

पूरे प्रदेश में पंजीयन का विषय बहुत महत्वपूर्ण है न्यायालय का आदेश जो वाद संख्या 820/2002 में पारित किया गया था वह आज भी प्रभावी है, यद्यपि प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की थी उसमें कुछ संशोधन किये हैं गत 3 अगस्त, 2016 को जो संशोधन किये गये हैं उनके अनुसार प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले हर चिकित्सक को अपना पंजीयन कराना है, अभी तक सारे चिकित्सक पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में करते थे, नई व्यवस्था के अनुसार अब सिर्फ आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक ही मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय में आवेदन करेंगे। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विधा के चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के यहाँ करेंगे और होम्योपैथिक चिकित्सा विधा के चिकित्सक जिला होम्योपैथिक अधिकारी के यहाँ करेंगे।

इस व्यवस्था के आते ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विधा के चिकित्सकों के लिए एक ही विकल्प है कि जब तक सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिए कोई नई व्यवस्था निर्मित नहीं की जाती है तब तक वह मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में ही अपने पंजीयन का आवेदन करेंगे। जो चिकित्सक अभी भी असंमजस की स्थिति में हैं वह इस अवस्था से ऊपर उठें और जागरूक होकर पंजीयन का आवेदन करें यद्यपि इस विषय को बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने गम्भीरता से लिया है और शासन से पत्र व्यवहार भी किया है।

आयुष के सभी विभागों को पत्र लिखकर यह सूचित कर दिया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी किया जा चुका है इसलिए उनके कार्य करने में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न किया जाये बोर्ड को अपेक्षा है कि पंजीयन का मुद्दा शीघ्र ही निर्णीत होगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए नई व्यवस्था बनेगी लेकिन जब तक नई व्यवस्था नहीं बनती है तब तक पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही कार्य करना होगा। चिकित्सकों को चाहिये कि पंजीयन के विषय को गम्भीरता से लें, आपको बताते चलें कि प्रदेश में पंजीयन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है पहली व्यवस्था न्यायालय के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां पंजीयन का आवेदन करना, दूसरी व्यवस्था के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पारित आदेश क्लीनिकल स्टैबलिशमेन्ट एक्ट के अनुपालन में प्रदेश सरकार द्वारा यू0पी0 क्लिनिकल स्टैबलिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन ऐण्ड रिगुलेशन) रूल्स 2016, तीसरी व्यवस्था जो संशोधन के कारण पैदा हुई है जिससे ऐलोपैथी और आयुष अलग – अलग पंजीयन का कार्य करेंगे।

हम इलेक्ट्रो होम्योपैथों के लिए अभी तक कोई पृथक व्यवस्था नहीं है इसलिए हमें न्यायालीय व्यवस्था का पालन करना है और उसी के अनुपालन में हर चिकित्सक को अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पंजीयन का आवेदन अवश्य करना है हमारे चिकित्सकों को चाहिये कि वह इस विषय पर गम्भीर होकर इसे एक अभियान के तौर पर लें, स्वयं पंजीयन का आवेदन करें और अपने साथी चिकित्सकों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वह पंजीयन का आवेदन अवश्य करें। यह कार्य हर चिकित्सक के हित में है, प्रैक्टिस का अधिकार तभी सफल होगा जब आप हर नियमों और कानूनों का पालन करते हुए कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे आज स्थिति यह है कि कल तक जो लोग पंजीयन का विरोध कर रहे थे व पंजीयन के मुद्दे का उपहास कर रहे थे बदलते हुए परिवेश में उन्होंने अपनी सोच में गुणात्मक परिवर्तन किया है और दबी ज़बान से स्वीकारने लगे हैं कि बिना पंजीयन के आवेदन के प्रदेश में अधिकार पूर्वक चिकित्सा व्यवसाय नहीं किया जा सकता है लेकिन चूंकि पहले वह विरोध कर चुके हैं इसलिए आसानी से सहमति देने में झिझक महसूस कर रहे हैं लेकिन सत्य तो सत्य होता है जिन नियमों और कानूनों का पालन करना है वह तो करना ही होगा यदि हम अभी भी नहीं चेते तो हमारी गणना भी उन्हीं की भाँति होने लगेगी जो अनाधिकार चेष्टा करते हुए प्रैक्टिस में लिप्त हैं।

आने वाले दिनों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी अन्य चिकित्सा पद्धतियों के मध्य मजबूती से अपना दावा प्रस्तुत करेगी। सब कुछ खत्म कर देंगे।

निर्णायक समय

इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत समय से दुविधा भरी स्थिति से गुज़र रही है इस पद्धति के नेतृत्वकर्ता आज तक कोई भी ऐसा निश्चित निर्णय नहीं ले पाये जिससे कि सकारात्मक परिणाम नहीं आ पा रहे हैं फलस्वरूप दुविधा की स्थिति अन्त होने का नाम नहीं ले रही है यह अवस्था किसी भी तरह से ठीक नहीं होती है क्योंकि दुविधा ग्रस्त व्यक्ति या समाज कभी भी अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता है और बिना मनोयोग अधूरी क्षमता से किये गये कार्य कभी भी पूर्ण फलदायी नहीं होते। वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्थिति स्पष्ट और पारदर्शी है जो आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए उपलब्ध हैं वह कार्य करने की पूरी छूट देते हैं और अधिकारपूर्वक कार्य करने का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं यह व्यवस्थाओं की बात है कि हर प्रदेश की अपनी अलग अलग कानूनी व्यवस्था होती है, जिस राज्य में हमें कार्य करना होता है उन्ही कानूनों का पालन करते हुए हम कार्य कर सकते हैं लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथियों को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, विश्वास न होने के दो ही स्पष्ट कारण नज़र आते हैं प्रथम तो यह हो सकता है कि वह लोग समग्र अधिकारिता के स्थान पर व्यक्तिगत अधिकारिता को ज़्यादा प्रमुखता देते होंगे या दूसरा कारण यह हो सकता है कि स्वयं को अधिकारविहीन मानकर मात्र अपने अस्तित्व को दर्शाने के लिए तरह–तरह के यत्न करते रहते हैं, अधिकार पाने के लिए यत्न करना बुरी बात नहीं है लेकिन यत्न ऐसे हों जिनका लाभ स्वयं को भी मिले और चिकित्सा पद्धति भी पुष्पित पल्लवित हो जब ऐसा होगा तो जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं उनका कार्य और सरल हो जायेगा लेकिन यह तभी सम्भव है जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को व्यक्तिगत न मानकर सार्वजनिक के रूप में स्वीकार करें, कटु सत्य तो यह है कि तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद भी हमारे साथियों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है सामन्तवाद के स्थान पर वह लोकतन्त्र को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि वह हमारी सोच से एकरूपता नहीं रखते हैं उनकी सोच भी एक है, लक्ष्य भी एक है, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वह वर्तमान परिस्थितियों में लाभकारी नहीं सिद्ध हो पा रहा है अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मंच पर कार्य करते हुए दिखायी देने के लिए इस तरह के हमारे साथियों द्वारा किये जाते हैं। मान्यता का विषय हम सब के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य लोगों के लिए लेकिन मान्यता के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है इस समय उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आवश्यक है।

25 नवम्बर, 2003 के आदेश में भारत सरकार ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं देगी, जिस 25 नवम्बर, 2003 के आदेश से पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी थी आज वही आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कार्य करने का रास्ता बना रही है, काम करते हुए सरकार पर इतना दबाव बनाया जाये कि विभागीय अधिकारी इस बात पर स्वयं विवश हो जायें कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के लिए विवश हो जायें, किये हुए कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं हमें सकारात्मक परिणामों से प्रेरणा लेनी चाहिये, योग सदियों से भारत वर्ष में प्रचलित है जैसे ही बाबा रामदेव ने योग के चमत्कारिक परिणामों को दुनिया के सामने रखा दुनिया चकित रह गयी और परिणाम आप सब के सामने है योग को मान्यता दिलाने के लिए न तो कोई आन्दोलन किया गया और न ही धरने प्रदर्शन किये गये मात्र अपनी क्षमता के बल पर योग को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ। यहां लिखने का तात्पर्य यह है कि कार्य से हर चीज़ सिद्ध हो जाती है जहां तक राजनैतिक दबाव की बात है, राजनैतिक दबाव पड़ना चाहिये साथ–साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हम जिन राजनैतिज्ञों से मिलते हैं उनके सामने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ऐसी छवि प्रस्तुत करें कि सामने वाला व्यक्ति इस चिकित्सा पद्धति से स्वयं प्रभावित होकर मान्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वतः आगे बढ़ावे इस लिए अब वह समय आ गया है जब इस समस्या के समाधान के लिए कोई ऐसी ठोस और पारदर्शी नीति निर्मित की जाये जो कि सर्वजन हिताय हो।

यह समय वस्तुतः निर्णायक समय है।

छोटी गलती भी गम्भीर परिणाम देती है

गलती गलती ही होती है छोटी हो या फिर बड़ी, अक्सर लोग यह कहते हैं कि अरे छोड़ें भी ! यह तो छोटी सी गलती है लेकिन जो लोग छोटी गलती को नज़रन्दाज़ करते हैं उन्हें अपनी गलती की वास्तविकता का एहसास नहीं होता है।

कभी कभी एक छोटी सी गलती बहुत गलत परिणाम दे जाती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लोग लगातार ऐसे ही कार्य कर रहे हैं जो कि कहीं न कहीं से गलतियों की श्रेणी में आते हैं इसका जीता जागता उदाहरण है कि यह सर्वविदित है कि चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति को जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना है उसे उसी राज्य में अपनी परिषद में पंजीकरण कराना होता है और पंजीकरण के बाद उस राज्य के प्रचलित कानूनों का पालन करते हुए ही कार्य करना पड़ता है लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कुछ ऐसे कार्य किये जा रहे हैं जो स्वीकारणीय नहीं हैं बहुत सारी ऐसी संस्थायें हैं जो अपना मुख्यालय और कार्य क्षेत्र दिल्ली बताते हैं प्रमाण पत्र भी केन्द्रीय देते हैं और चिकित्सक से कहते हैं कि आप पूरे देश में प्रैक्टिस कर सकते हैं।

अपनी बात को सिद्ध करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के 22 जनवरी, 2015 के आदेश का हवाला भी देते हैं सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश किन परिस्थितियों में हुआ इसका अन्दाज़ा हमारे सीधे–सादे चिकित्सक को नहीं होता है और वह भ्रमजाल से बाहर नहीं निकल पाता है परिणामतः उसे प्रैक्टिस के दरम्यान कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यह किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में तरह–तरह के भ्रम फैलाये जाते हैं उत्तर प्रदेश में कार्य करने के लिए एक न्यायालीय आदेश के पालन में सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले हर चिकित्सक को निश्चित अर्हता के साथ अपने परिषद में पंजीयन के साथ–साथ जिस जनपद में चिकित्सा व्यवसाय करना है उस जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन के लिए आवेदन करना आवश्यक है यह बात सत्य है कि प्रदेश सरकार द्वारा पारित आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पंजीयन के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गयी है लेकिन जब सरकार ने यह व्यवस्था दे रखी है कि हर चिकित्सक को जनपद के मु.ख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन करना है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस परिधि से बाहर कैसे आ सकता है ?पंजीयन का आवेदन देने के लिए जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को सूचित किया गया हर चिकित्सक इस सूचना से वंचित न रहे इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया तो हमारे साथी पहले तो इस अभियान का विरोध करने लगे फिर धीरे–धीरे विरोध से उपहास में उतर आये और चिकित्सकों को समझाने लगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी मान्यता नहीं मिली है इसलिए मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन के आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

यहां एक बार फिर 22 जनवरी, 2015 के आदेश को ढाल बनाया गया हम इस बात से इंकार नहीं करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें कार्य करने की अनुमति देता है लेकिन अनुमति के बाद भी कार्य करने के लिए जो नियम हैं उनका पालन तो हमें करना ही होगा यह ऐसे समझा जा सकता है कि प्रदेश में नियम है कि दो पहिया वाहन चलाने के लिए हेल्मेट लगाना आवश्यक है अब यह हर वाहन चालक का दायित्व है कि इस नियम का पालन करे जो आदमी इस नियम का पालन नहीं करता है चेकिंग के दौरान उसका चालान हो जाता है ठीक इसी तरह से जब कभी भी कोई सक्षम अधिकारी किसी चिकित्सक की जांच करता है तो वह हर बिन्दु पर जांच करते हुए यह अवश्य पूछता है कि क्या आपने अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में किया है ?इसका जवाब यदि हाँ में देते हैं तो हाँ की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रपत्र दिखाने पड़ते है और यदि आप जवाब न में देते हैं तो अधिकारी आपको नोटिस थमा देता है, जिसके कुछ भी परिणाम हो जाते हैं तात्पर्य यह है कि छोटी सी गलती कभी–कभी इतनी गम्भीर परिणाम दे देती है जिनकी कभी भी हमने कल्पना नहीं की होती है। इस तरह के केस अक्सर संज्ञान में लाये जाते हैं हम बार–बार यही प्रयास करते हैं कि हमारा चिकित्सक सजग रहे, जागरूक रहे और अपने अधिकारों के प्रति जानकार हो साथ–साथ जो उसका कर्तव्य है उससे वह विलग न हो लेकिन जब एक ही विषय पर कई तरह के विचार आते हैं तो मन में संशय पैदा होना सामान्य सी बात है लेकिन संशयों से काम नही बनता है।

संशय से ऊपर उठकर वास्तविकता को पहचानना होगा और जो ठोस और आवश्यक कार्य हैं वह तो हमें करने ही होंगे, तत्कालिक लाभ के लिए किया हुआ कार्य कभी भी दीर्घजीवी नही होता है मात्र सपनों के सहारे जीवन कटता नहीं है जीवन वास्तविकता से ही गुज़ारा जा सकता है आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविकता यह है कि सारे अधिकार होने के उपरान्त भी हम उसका पूरा आनन्द नहीं उठा पा रहे हैं।

जब हमसे अधिकारों की बात करेंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो सफलता कभी भी शतप्रतिशत नहीं मिल सकती है कार्य करने के कितने भी रास्ते क्यों न हों लेकिन यदि हमें विश्वास ही नहीं है तो अपेक्षित परिणाम कैसे मिल सकते हैं ? धीरे–धीरे समय बीतता जा रहा है लोगों की धारणायें भी बदलती जा रही हैं अपने आपको ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का समर्थक व साधक सिद्ध करने के लिए जो कार्य किये जा रहे हैं वह उपयोगी नहीं हैं।

आज कल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर समाचार बड़ी तेज़ी के साथ इधर से उधर फैलता है हमारा संचार माध्यम इतना सशक्त और तेज़ है कि सूचनायें पहुंचने में तनिक भी देर नहीं लगती है और लोग बाग उनपर टिप्पणी करने से बाज़ नहीं आते हैं पिछले दिनों एक संस्था संचालक ने अपने विद्यालय के प्रास्पेक्टस का विमोचन एक केन्द्रीय मंत्री से कराया और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाली लोगों को बताया कि मान्यता के बारे में माननीय मंत्री जी से चर्चा हो रही है। अभी लोगों के मन से यह चित्र उतरा भी नहीं था कि इसी प्रास्पेक्टस का विमोचन उत्तर प्रदेश के एक कबीना मंत्री जी से करवा दिया गया जिसकी फोटो सोशल मीडिया में डाली गयी, जैसे ही यह फोटो मीडिया में आयी "लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं सिर्फ व्यवसाय है" इस तरह की छोटी गलतियां कभी–कभी गम्भीर परिणाम दे जाती हैं इसलिए हम सब लोगों का नैतिक दायित्व है कि हम इस तरह की बातों से बचें जो नकारात्मक विचारों को जन्म देती हैं।

समय–समय पर परिवर्तन होते रहते हैं यदि हम इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाते हैं तो दीर्घकालिक लाभ नहीं उठा सकते हैं, परिस्थितियां बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं कब कहां क्या हो जाये ?यह कोई नहीं जानता ! चिकित्सकों के पंजीयन का विषय शासन के समक्ष विचाराधीन है, बोर्ड पूरी ताकत के साथ इस विषय का हल शीर्ष से शीर्ष निकलवाने के लिए प्रयासशील है साथ–साथ यह भी प्रयास किया जा रहा है कि कोई ऐसी व्यवस्था निर्मित हो जिससे कि आने वाले दिनों में हमारे किसी भी चिकित्सक को कभी भी,कहीं भी,किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

समय किन्तु परन्तु का नहीं .

सिर्फ़ कार्य करने का है।

मैटी पुण्य तिथि पर विशेष

आस्थाओं पर विवाद नहीं होना चाहिये

रही हैं शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जो आशातीत सफलता इस पद्धति को मिली जिससे इस पद्धति की महत्ता दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है परन्तु जहाँ पर बहुत सारी अच्छाईयां होती हैं वहीं कुछ कमियां भी होती हैं, प्रतिकूल प्रभाव **(Side effect)** इस चिकित्सा पद्धति की कमी है, विकल्प की तलाश में कुछ वैज्ञानिकों ने नई–नई तलाश की तभी यूनान के वैज्ञानिकों ने एक नई चिकित्सा पद्धति दी जिसका नाम यूनानी चिकित्सा पद्धति रखा गया।

इसी क्रम में जर्मनी में होम्योपैथी, इटली में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की खोज की गयी, यह सारी की सारी चिकित्सा पद्धतियां अस्तित्व में इसलिये आयीं क्यों कि आयुर्वेद और ऐलोपैथी से लोगों को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, इन्हीं के साथ–साथ कुछ थेरेपियों ने भी जन्म लिया यथा मैग्नेटो थिरेपी, क्रोमोथिरेपी, बैचफलावर रेमेडी, फिज़ियोथिरेपी, मगर इन थेरिपियों में कमी यह है कि किसी भी थेरेपी द्वारा औषधि का मुख से प्रयोग नहीं किया जाता है, इन सबके आविष्कारक हैं, सभी की जन्म और मृत्यु की तिथियां इनके अनुयाईयों द्वारा मनाई जाती हैं लेकिन कहीं पर भी कोई किसी तरह का विवाद नहीं है।

पता नहीं क्यों इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अविष्कारक मैटी के मृत्यु तिथि पर उनके अनुयाईयों द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़े किये जाते हैं, मैटी आज हमसब के बीच में सूक्ष्म शरीर के रुप में हैं स्थूल शरीर तो कबका नष्ट हो चुका है बस उनके द्वारा किये गये कार्य ही हमें उन्हें याद करने को विवश करते हैं, कार्य ही पूजा है, कर्म की महत्ता की चर्चा सभी ने की है और व्यक्ति की पूजा जीवन रहते होती है जीवन के बाद कर्म ही पूजे जाते हैं राम, कृष्ण, मोहम्मद साहब,गुरु नानक, ईसा सभी के सभी अपने–अपने धर्मावलम्बियों के मध्य परमात्मा की तरह पूजे जाते हैं।

क्या आपने कभी सोचा ! कि इनके शरीर नहीं इनके कर्म पूजे जाते हैं इसीलिये जब कर्म ही प्रमुःख है तो कर्म की पूजा करें जो तिथि हमें अच्छी लगे उसी तिथि को पुण्य तिथि मानकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें चूँकि श्रद्धा वहीं होती है जहाँ व्यक्ति की आस्थायें जुड़ी होती हैं और आस्थाओं में विवाद के लिये कोई स्थान नहीं है विवाद वहां हो जहाँ कुछ खोने और पाने की सम्भावनायें हों, किसी की मृत्यु तिथि की निश्चितता के लिये विवाद को जन्म देना किसी भी तरह से उचित नहीं है महात्मा मैटी सबके हैं यह किसी एक की सम्पत्ति नहीं हैं उनके द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा सिद्धान्त का जितना लाभ 04 सितम्बर की तिथि मनाने वाले उठायेंगे उतना ही लाभ 03 अप्रैल स्वीकारने वाले।

संत कबीर के मृत्यु पर भी विवाद है लेकिन जिसकी आस्थायें जिस दिन से जुड़ी होती हैं वह उसी दिन को महत्वपूर्ण मानकर संतुष्ट होता है।

मैटी का उद्देश्य था कि मानव को रोगों से मुक्ति मिले और हम सारे के सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ किसी भी जाति, धर्म, मज़हब, नस्ल से क्यों न जुड़े हों पर उद्देश्य तो एक ही है कि लोगों को रोग से मुक्ति मिले मानवता का कल्याण हो, जब उद्देश्य एक है तो इस प्रकार के विवादों का कोई स्थान नहीं होता विवाद कार्य को प्रभावित करते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी बहुत आगे जाना है इसलिये इन सब बातों से ऊपर उठकर सिर्फ कार्य संस्कृति पर जोर देना होगा।

इस समय पूरा देश इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिये प्रयासशील है, हम सभी का यह कर्तव्य है कि सकारात्मक विचारों के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की विकास यात्रा में सहभागिता करें आस्थाओं के साथ हर तिथियां मनायें। मैटी का स्थान हमारे हृदयों में है हमारी श्रद्धा उनके साथ है।

हम सब इस बात के लिये संकल्पित हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता को विश्व पटल पर सिद्ध करें इसी के साथ हम यह कामना करते हैं कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी सर्वोच्च पर होगी।करते हैं

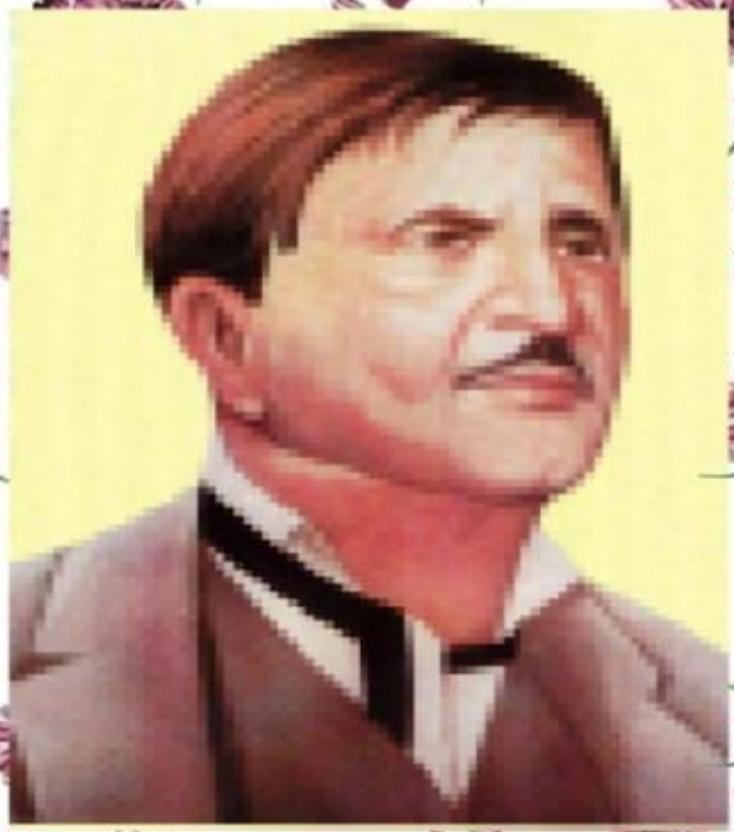

शत् शत् नमन है तुम्हें

ठोस नीति के साथ चलाया जायेगा पंजीयन अभियान

धीरे–धीरे पूरे प्रदेश में चिकित्सकों के पंजीयन का मामला गति पकड़ता जा रहा है और ऐसी स्थिति बनती जा रही कि जो चिकित्सक पंजीयन नहीं करायेंगे वे प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय नहीं कर पायेंगे, इधर तमाम प्रयासों के उपरान्त भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक पंजीयन के विषय पर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाये हुए हैं।

चिकित्सकों के मन में इस बात के भाव पैदा हों कि पंजीयन की आवश्यकता वह स्वयं समझें इसके लिए कोई ठोस नीति निर्धारित की जाये यह निर्णय बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबन्ध समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में ठोस नीति के सम्बन्ध में कई विचार आये तमाम विचारों पर बिन्दुवार चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों व अध्ययन केन्द्रों के संचालकों की एक बैठक बुलायी जाये उन्हें इस नीति के सम्बन्ध में जानकारी दी जाये तथा यह नीति प्रदेश स्तर पर कैसे प्रभावी की जाये जिससे कि चिकित्सक स्वतः पंजीयन के लिए आवेदन करे साथ–साथ इन संचालकों को यह भी बताया जाये कि 3 अगस्त, 2016 को प्रदेश सरकार ने पंजीयन हेतु कुछ संशोधन किये हैं इन संशोधनों से अब हर विधा का चिकित्सक अपने अपने अधिकारी के यहाँ पंजीयन का आवेदन देगा,जैसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति का चिकित्सक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में, आयुर्वेदिक और यूनानी के चिकित्सक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के यहाँ तथा होम्योपैथी के चिकित्सक जिला होम्योपैथिक अधिकारी के यहाँ पंजीयन का आवेदन देगा। जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई प्रथक व्यवस्था नहीं होती है तब तक पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक को अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के सी0एम0ओ0 के यहाँ ही प्रस्तुत करना होगा।

कोई जिला होम्योपैथिक अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के कार्य में हस्तक्षेप न करे इसलिए हर अधिकारी को बोर्ड द्वारा सूचना भेज दी गयी है कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से पंजीकृत चिकित्सकों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2012 को कार्यालय ज्ञाप जारी किया जा चुका है तथा इस आदेश के अनुपालन हेतु प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक द्वारा इस आदेश के अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को 2 सितम्बर, 2013 को इस आशय के निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि वह 4 जनवरी, 2012 के आदेश का शासकीय निर्देशानुसार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें,सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थायें बनती जा रही हैं लेकिन हमारे चिकित्सक अभी भी इस विषय पर गम्भीर नहीं हैं यदि अभी भी चिकित्सकों में चेतना नहीं आयी तो भविष्य में उन्हें गम्भीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इन गंभीर परिणामों से बचाने के लिये बोर्ड ने एक बार पुनः चिकित्सकों को जागरुक व सजग बनाने हेतु ठोस रणनीति बनाई है जो 04 सितम्बर, 2016 से प्रभावी होने लगेगी।

चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये पंजीयन की आवश्यकता क्यों ?

इसे जानिये और समझिये

- आपकी योग्यता व पद्धति तय होती है
- चिकित्सकों की श्रेणी में आप चिन्हित हो जाते हैं
- अधिकार पूर्वक क्षमतानुसार प्रैक्टिस निडर होकर करते हैं

विभिन्न राज्यों में पंजीयन की स्थिति

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में अवमाननावाद संख्या 820/2002 में
पारित आदेश के अनुपालन में
व
यू0पी0 क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट
(रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) रुल्स 2016
तथा
3 अगस्त, 2016 को पारित संशोधित आदेश

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा संस्था नियंत्रण अधिनियम 1973
तेज़ी से प्रभावी हो रहा है

दिल्ली

दिल्ली राज्य में दिल्ली मेडिकल काउन्सिल द्वारा
एण्टी क्वैक्री कमेटी गठित

उत्तराखण्ड एवं हिमांचल

उत्तराखण्ड एवं हिमांचल राज्य में
क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट 2010 भारत सरकार प्रभावी हो चुका है

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रभावी
इसी प्रकार पूरे देश में पंजीयन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है
आईये हम सब वैधानिक एवं राज्य में प्रचलित कानूनों का
पालन करते हुये पंजीकरण करायें
और

निडर होकर प्रैक्टिस करें

चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान द्वारा जनहित में प्रसारित